INDIA भारत INDIA भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

85

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2015

निग-2596-II/15

1 हृदयलाल पुत्र श्री सिद्धि गोपालराम

2 मानकर प्रसाद पुत्र श्री सिद्धि गोपालराम

3 भास्कर प्रसाद पुत्र श्री सिद्धि गोपालराम

निवासीगण–ग्राम मधुरी कोठार, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

——आवेदकगण

विरूद्ध

अंजनी प्रसाद पुत्र अम्बिकाराम, निवासी–ग्राम मधुरी कोठार, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

——अनावेदक

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 12-8-2015

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 391/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20/07/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 68, रकवा 0.06 हेक्टर एवं सर्वे नंबर–72, रकवा 0.200 हेक्टर, हिस्सा 1/3 स्थित ग्राम मधुरी पवाई आवेदगण की सगी चाची के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमिया थी। मृतक भूमि स्वामी सुखमंती निसंतान थी। आवेदकगण अपनी सगी चाची के वेध उत्तराधिकारी है तथा आवेदकगण के हित में वसीयतनामा

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2596–दो / 2015 जिला–सीधी

हृदयलाल आदि विरूद्ध अंजनी प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–सीधी के प्र. क्र. 391 / निग. / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 20–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 6.3.19	